

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 470

दिनांक 25/02/2022

प्रार्थीगण :-

1.रोशन पुत्र जामा 2.नसीबा पत्नि जामा  
जातियान मुसलमान, निवासी जैसार  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.ईस्माइल 2.दोसू पि.सिका 3.धिया पत्नि  
सिका 4.मुराद पुत्र चिमा 5.दराखां 6.हमजा  
7.रमदान 8.सरादीन पि.ईसाक 9.सिका  
10.मिसरी 11.विलाल 12.हकीम पि.खमीसा  
जातियान मुसलमान, 13.जीया पुत्र लाखा  
जाति जाट, निवासी जैसार, तहसील चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम

वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 63/2020

दिनांक : 22.02.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र जैसार के मौजा जैसार के खेत खसरा सं. 40 रकबा 24.17 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 471 to 474

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण रोशन वगैरा
3. विप्रार्थीगण इस्माइल वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

(भागीरथ राम II)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

दिनांक 25/02/2022



उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड चौहटन